

पत्रांक :-03/PM-USHA-SNA SPARSH-04/2024..... ४७/१५६८

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ०२/०७/२०२४

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के **Project Approval Board (PAB)** की द्वितीय बैठक (2nd meeting) में अवयव- **Grants to Strengthen Colleges** के अंतर्गत स्वीकृत राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के **Academic Block (Ground Floor)** के निर्माण कार्य हेतु रु० 6,29,91,300/- (छः करोड़ उनतीस लाख एकानवे हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1185(नि०) दिनांक 31.05.2024

आदेश- स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में Access, Equity एवं Quality सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के आगामी चरण को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जून 2023 में प्रारम्भ किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने 22.08.2023 को एकरारनामा किया है।

3. इस योजना द्वारा विभिन्न अवयवों (Components) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा Project Approval Board (PAB) के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अवयव- Grants to Strengthen Colleges के अंतर्गत विद्यमान अंगीभूत महाविद्यालयों/स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का सृद्धीकरण किया जाना है। इस क्रम में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत दिनांक 02.02.2024 को आहूत Project Approval Board (PAB) की द्वितीय बैठक (2nd meeting) में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के आधारभूत संरचना के विकास हेतु 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के आधारभूत संरचना के विकास हेतु स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी।

Bh.

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

6. विभागीय पत्रांक 286/बजट दिनांक 03.01.2023 के द्वारा DPR तैयार करने के क्रम में Check Slip निर्गत किया गया है। जिसके आलोक में निम्न अवयवों यथा- Academic Block, Administrative Block, Residential Qtr, Auditorium, Multipurpose Examination Hall, Library Block, Student Research centre, Sports facilities, Green areas, Rain Water Harvesting, Street Lighting, including all furniture etc. को डी0 पी0 आर0 निर्माण में शामिल किया जाना है। इसके तहत राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के Academic Block (Ground Floor) के निर्माण का प्रस्ताव PM-USHA के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जो तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान का भाग है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार किया गया है।

7. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 1185(नि0) दिनांक 31.05.2024 के द्वारा Estimate No.- 541/T.A/H.E/JSBCCL/2024-25, Page- 241 dated 21.05.2024 से राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के Academic Block (Ground Floor) के निर्माण कार्य हेतु रु0 6,29,91,300/- (छः करोड़ उनतीस लाख एकानवे हजार तीन सौ रुपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र0 सं0	अवयव के नाम	राशि
1	Academic Block (G+0)	4,36,08,295.00
2	Septic Tank	3,95,973.00
3	Deep Boring	2,65,574.00
4	Rain Water Harvesting	2,78,355.00
5	Internal Pathway	4,28,189.00
6	Furniture	49,45,431.00
	Total	4,99,21,817.00
	Add GST @ 18%	89,85,927.06
	Total Amount with GST	5,89,07,744.06
	Labour Cess 1%	5,89,077.44
	JSBCCL Charge	34,94,527.19
	Grand Total	6,29,91,348.69
	Say Rs.	6,29,91,300.00

8. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत केन्द्रांश मद में रु0 50.00 करोड़ एवं राज्यांश मद में रु0 34.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 84.00 करोड़ का बजटीय उपबंध है।

9. अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय को बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना एवं राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की द्वितीय बैठक (2nd meeting) में अवयव- Grants to Strengthen Colleges के अंतर्गत स्वीकृत राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के Academic Block (Ground Floor) के निर्माण कार्य हेतु रु0 6,29,91,300/- (छः करोड़ उनतीस लाख एकानवे हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है-



क्रमांक	मद	राशि
1	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	3,00,00,000 / -
2	समानुपातिक राज्यांश (40 प्रतिशत)	2,00,00,000 / -
3	अतिरिक्त राज्यांश	1,29,91,300 / -
	कुल योग -	6,29,91,300 / -

10. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के Academic Block के निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

11. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से किया जायेगा। उक्त योजना में स्वीकृत राशि का व्यय PM-USHA के मार्गदर्शिका एवं SoP (Standard Operating Procedure), भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार किया जायेगा।

12. निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर महाविद्यालय के द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एन0 जलान कॉलेज, सिसई, गुमला के Academic Block के निर्माण कार्य हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	भौतिक लक्ष्य
1	2024-25	3,00,00,000 / -	40 प्रतिशत
2	2025-26	3,29,91,300 / -	60 प्रतिशत

13. उपर्युक्त कंडिका-9 में केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन SNA-SPARSH प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान मद से किया जायेगा।

14. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा। Furniture एवं Equipments के Specification का निर्धारण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा महाविद्यालय की सहमति से नियमानुसार किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNDEN046) एवं श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

14. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी हेतु विपत्र (Fully Vouched Claim Bill) तैयार करने के पूर्व अपने स्तर से PWD Code के सुसंगत नियमों के आलोक में संतुष्ट होने के पश्चात् ही विभाग को समर्पित करेंगे।

17. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

18. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

21. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक- 03/PM-USHA-SNA SPARSH-04/2024 87/995 /राँची, दिनांक- 02/07 /2024

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक- 03/PM-USHA-SNA SPARSH-04/2024 87/995 /राँची, दिनांक- 02/07 /2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रुसा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जाज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

